

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

संख्या-21/आयोग-विविध-03/2017,सा.प्र.७५११/पटना-15, दिनांक 7-6-18
भारत के संविधान के अनुच्छेद-318 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तों) विनियमावली, 1960
में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रवृत्त समझा जायेगा :-

संशोधन

“ बिहार लोक सेवा आयोग(सेवा की शर्तों) विनियमावली, 1960 के विनियम-4 में अंक तथा शब्द
रु० 80,000/- (अस्सी हजार) के स्थान पर अंक तथा शब्द रु० 2,25,000/- (दो लाख, पच्चीस हजार)
और अंक तथा शब्द रु० 70,000/- (सत्तर हजार) के स्थान पर अंक तथा शब्द रु० 2,00,000/- (दो
लाख) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र शर्मा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/ आयोग-विविध-03/2017,सा.प्र.७५११/पटना-15, दिनांक-7-6-18

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ
प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य
प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/ आयोग-विविध-03/2017,सा.प्र.७५११/पटना-15, दिनांक-7-6-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/आयोग-विविध-03/2017,सा.प्र.७५११/पटना-15, दिनांक-7-6-18

प्रतिलिपि:-राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विधागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/आयोग-विविध-03/2017,सा.प्र.७५११/पटना-15, दिनांक-7-6-18

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या-21/आयोग-विविध-03/2017,सा.प्र. 7512 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की
अधिसूचना संख्या 7511 दिनांक 7-6-18 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार
से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा
में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

NOTIFICATION

7512 Patna, Dated 7-6-18
No.-21/Aayog- Bibidh-03/2017 Ka-..... In exercise of the powers conferred by Article 318 of
the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in
the Bihar Public Service Commission(Conditions of Service) Regulation, 1960 which shall be
deemed to have come into force with effect from 01.01.2016

AMENDMENT

In regulation 4 of the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service)
Regulation, 1960, in place of the figure and words "Rs. 80,000/-(eighty thousand)", the figure
and words "Rs. 2,25,000/-(two lakh twenty five thousand)" and in place of the figure and words
"Rs.70,000/-(seventy thousand)" the figure and words " Rs.2,00,000/- (two lakhs)" shall be
substituted.

By the order of the Governor,

(Rajendra Ram)

Additional Secretary to Government.

No.-21/Aayog- Bibidh-03/2017 Ka - 7512 Dated- 7-6-18

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section with C.D. in two
copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to
send its copies to this Department.

Additional Secretary to Government.

No.-21/Aayog- Bibidh-03/2017 Ka - 7512 Dated- 7-6-18

Copy forwarded to A.G. Bihar, Patna/ Treasury Officer, Secretariat Treasury,
Shichai Bhawan, Patna for Information and necessary action.

Additional Secretary to Government

No.-21/Aayog- Bibidh-03/2017 Ka - 7512 Dated- 7-6-18

Copy forwarded to All Departments/All Head of the Departments of the State
Government/ Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna for information and necessary
action.

Additional Secretary to Government.

No.-21/Aayog- Bibidh-03/2017 Ka - 7512 Dated- 7-6-18

Copy forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar,
Patna for information and necessary action.

Additional Secretary to Government.